22.04.2022:—आज यह पत्रावली प्रार्थी वकील के निवेदन पर पेशी में ली गई। प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी मूल खरिज होने के कारण प्रार्थना—पत्र मे में कोई कार्यवाही नही चाहते। इस कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना—पत्र में कोई कार्यवाही नहीं चाहने के कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना—पत्र खारिज फरमाया जावे।

अतः प्रार्थना—पत्र मूल वादपत्र के खारिज होने के कारण प्रार्थना—पत्र मौजूदा सूरतं मे ही खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो ।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Avi Garg
Date: 2022.11.02 13:02:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner